न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 26 / 2016 (उदयपुर आर्डर)

इस्माईल अली पिता श्री गुलाम अब्बास हबीब, निवासी 33, धोलीबावड़ी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मंसूर अली पिता श्री सज्जाद हुसैन कादर रस्सा जी वाला, निवासी 9, नजम मार्ग, उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सकीना पुत्री सालेह मोहम्मद हबीब एवं पत्नी मंजूर अली कादर रस्सा जी वाला, निवासी 9, नजम मार्ग, उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती साहिदा पुत्री मंजूर अली कादर रस्सा जी वाला, निवासी 9, नजम मार्ग, उदयपुर (राज.)
4. मंसूर अली पिता फखरूद्दीन जी हीतावाला, जाति बोहरा, निवासी 1 / 28, खारोल कॉलोनी, आरा मशीन के सामने, फतहपुरा, उदयपुर हाल निवासी हितावाला कन्स्ट्रेक्शन प्रा.लि., सोनी हॉस्पिटल के सामने, सहेली मार्ग, उदयपुर (राज.)
5. नासिर हुसैन पिता फखरूद्दीन जी हीतावाला, जाति बोहरा, निवासी 1 / 28, खारोल कॉलोनी, आरा मशीन के सामने, फतहपुरा, उदयपुर हाल निवासी हितावाला कन्स्ट्रेक्शन प्रा.लि., सोनी हॉस्पिटल के सामने, सहेली मार्ग, उदयपुर (राज.)
6. हातिम अली पिता कमरूद्दीन हीतावला, जाति बोहरा, निवासी जमालपुरा, बोहरवाडी (मोचीवाडा की गली), उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती असीना उर्फ हसीना पत्नी श्री हातिम अली हीतावला, जाति बोहरा, निवासी जमालपुरा, बोहरवाडी (मोचीवाडा की गली), उदयपुर (राज.)
8. मोहम्मद हुसैन पिता श्री फखरूद्दीन टोपी, जाति बोहरा, निवासी मकान नंबर 5, टॉक बिल्डिंग के पास, खारोल कॉलोनी, उदयपुर (राज.)

9. श्रीमती रसीदा पत्नी मोहम्मद हुसैन टोपी, जाति बोहरा, निवासी 6, नजम मार्ग, उदयपुर हाल निवास ताहा अपार्टमेन्ट, रूम नंबर 202, शिक्षा भवन चौराहा, स्वरूप सागर रोड़, उदयपुर (राज.)

10. तैय्यब अली पिता गुलाम अब्बास, निवासी 33, धोलीबावड़ी, उदयपुर।

11. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–225 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1956 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक गिर्वा)
दिनांक 14–06–2016, प्र.सं. 48/16

———/———

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री गिरधारीसिंह राव अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3– श्री अजयसिंह हाड़ा अभिभाषक रे. सं. 3
4– श्री सुखदेव बारबर अभिभाषक रे. सं. 4, 5
5– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 28–09–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 4 रकबा 0.8100 हैक्टर भूमि ग्राम देवाली में स्थित है, जो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 के खातेदारी की होकर अविभाजित है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/24, प्रार्थी संख्या 2 का 1/24 व प्रार्थी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण अपनी भूमि का बंटवाड़ा करवाकर अलग कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए शेष खातेदार विपक्षी संख्या 1 से 8 से सम्पर्क करना चाहा, किन्तु विपक्षीगण परस्पर बंटवाड़े से सहमत नहीं हैं एवं बिना कानूनी विभाजन के कृषि भूमि की नोहियत बदलकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग करने पर आमादा है एवं जबरन निर्माण करने लगे, जिस पर नगर

विकास प्रन्यास से भी कार्य रूकवाया गया, फिर भी विपक्षीगण निर्माण कार्य करने पर आमादा है। अतएवं वादग्रस्त कृषि भूमि में किसी प्रकार के गैर कृषि कार्य नहीं करने अथवा निर्माण कार्य नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दिनांक 30–05–2016 को प्रकरण में एकतरफा स्थगन जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 14–06–2016 तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किये गये। दिनांक 14–06–2016 को अधिनस्थ न्यायालय ने ताफैसला वाद निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 7 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 05–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

→ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 14–06–2006 को अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 7 की उपस्थिति में जारी किया गया है, जिसकी अपील की मयाद दिनांक 13–08–2016 को 60 दिवस पूर्ण हो जारी है, जबकि यह अपील करीब 22 दिन बाद दिनांक 05–09–2006 को पेश की गयी है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा नकल हेतु आवेदन 30–08–2016 को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी नकल उसे दिनांक 02–09–2016 को प्राप्त हुई है। अर्थात नकल तैयारी में 3 दिवस का विलम्ब हुआ है, जबकि यह अपील उसके द्वारा 22 दिवस – 3 दिवस अर्थात 19 दिन विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जो निसंदेह बेरून मयाद है, जिसके लिए अपीलान्ट द्वारा मयाद कण्डोन किये जाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तद्नुसार प्रथम दृष्टया अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, उसके विवेचन की आवश्यकता नहीं रह जाती है, फिर भी न्यायहित में यदि हम प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करें तो अपीलान्ट द्वारा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का उजर दिया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार उसकी तामील होकर उसकी उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट का अन्य उजर यह है कि सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है तथा अपीलान्ट ने मकान का निर्माण भी करवा लिया है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में है। अपने

कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (6) 1999 पेज 301, आर.बी. जे. (9) 2002 पेज 130 एवं आर.आर.टी. 2004 (1) पेज 365 प्रस्तुत की, जिनमें यह वर्णित किया गया है कि सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रस्तुत प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट को सूचना किया जाकर उसकी उपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहखातेदारों के मध्य विधिवत विभाजन हुए बिना मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं, जो प्रथम दृष्टया प्रकरण के अनुरूप है, क्योंकि किसी भी पक्षकार को कृषि भूमि पर बिना रूपान्तरण गैर कृषि कार्य करने व व बिना विधिवत विभाजन के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती, तद्नुसार उक्त नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण हम प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में पाते हैं, तद्नुसार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त भी प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में ही रहते हैं, क्योंकि बिना विधिवत विभाजन तथा बिना रूपान्तरण किसी भी पक्षकार को कोई भी अकृषि कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तद्नुसार इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–06–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर